निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 04 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग, स्तर-2 उत्तराखंड, श्रीनगर गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग, स्तर-2 उत्तराखंड, श्रीनगर गढ़वाल के माह 11/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11/05/2018 से 17/05/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ..... सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक ..... से ..... तक श्री ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह ..... से ..... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह है कि निर्माण कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखंड।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	10.71	10.71	-	-	-	-
2017-18	-	-	73.43	73.43	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
	शून्य				

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत, राज्य सरकार है।

(iv) इकाई की श्रेणी “सी” है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग में

प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष)

मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,

अधीक्षण अभियंता,

अधिशासी अभियंता,

सहायक अभियंता,

कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग में

वित्त नियंत्रक , खंडीय लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी , प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्क सहायक।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग, स्तर-2 उत्तराखंड, श्रीनगर गढ़वाल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग, स्तर-2 उत्तराखंड, श्रीनगर गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2018 एवं 08/2017 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया। .....

(vii) ..... का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... " व्यय के आधार पर" ..... के आधार पर किया गया।

(VI) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग - 2 (ब)

प्रस्तर -1 : विभागीय उदासीनता के फलस्वरूप 370 हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र का सींच से वंचित रहना।

सिचाई विभाग द्वारा राज्य में नहर निर्माण, नलकूप निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्यो के निर्माण एवं उनके अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य किए जाते है। सिचाई विभाग, उत्तराखंड के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के अनुसार मार्च 2017 तक राज्य में कुल निर्मित नहरों की संख्या 2937 एवं कृषि योग्य क्षेत्र 2.317 लाख हैक्टेयर था। निर्मित नहरों की सिंचन क्षमता खरीफ फसल हेतु 1.553 लाख हैक्टेयर व रबी फसल हेतु 1.266 लाख हैक्टेयर थी।

मुख्य अभियंता, **स्तर-**II, **श्रीनगर** के अभिलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया कि विभागीय उदासीनता के कारण 18 नहरे जिनकी सिंचन क्षमता 402 हैक्टेयर थी, क्षतिग्रस्त होने के कारण जुलाई 2016 के पूर्व से बंद थी जिस कारण 370 हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सींच से वंचित था। 18 बंद नहरों का विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	**नहर का नाम**	**विकास खंड का नाम**	**नहर के बंद होने कि तिथि**	**बंद होने का कारण**	**सी॰ जी॰ ए॰ (कृषि योग्य क्षेत्र) हैक्टेयर में**	**सिचाई क्षमता हैक्टेयर में (खरीफ+रबी)**
1.	कठवाड़ा	रिखनीखाल	नवम्बर 2014	लो॰ नि॰ वि॰ से क्षतिग्रस्त	30	35
2.	द्वारीडुंगरियाल	,,	अगस्त 2015	अतिवृष्टि के कारण	12	17
3.	चमेठा	जयहरीखाल	अगस्त 2014	,,	41	20
4.	तोली	द्वारीखाल	,,	,,	20	24
5.	दिउसा	,,	,,	,,	30	36
6.	कोटा	,,	,,	,,	30	36
7.	लोउर जामल	यमकेश्वर	,,	,,	10	18
8.	ढाडरी	पौड़ी	वर्ष 2000	मानसून से क्षतिग्रस्त	04	06
9.	चौरा लोअर	,,	वर्ष 2010	लो॰ नि॰ वि॰	02	02

				द्वारा क्षतिग्रस्त		
10.	सिगड़ी लोअर	,,	,,	,,	02	02
11.	कृशाल अपर	,,	वर्ष 2009	,,	05	08
12.	नौड़ी	थलीसैण	वर्ष 2010	पी॰ एम॰ जी॰ एस॰ वाई॰ द्वारा क्षतिग्रस्त	60	70
13.	जामरिया	बीरौखाल	वर्ष 2015	मानसून से क्षतिग्रस्त	10	16
14.	कुनतोल्यू	,,	वर्ष 2008	लो॰ नि॰ वि॰ से क्षतिग्रस्त	25	46
15.	सिल्ली तल्ली	,,	वर्ष 2015	हैड क्षतिग्रस्त	20	30
16.	दयुकासेरा	जखोली	2010-11	विभिन्न रींचो में क्षतिग्रस्त	19	15
17.	पाटी	पोखरी	2001	लो॰ नि॰ वि॰ रोड कटिंग से क्षतिग्रस्त	08	08
18.	केवर नहर	नारायणबगड़	07/2016	दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त	42	40
	योग				370	402

उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पर्वतीय क्षेत्रो में अतिवृष्टि के कारण नहरे क्षतिग्रस्त होती रहती है। बंद नहरों पर अभी तक धनाबंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि लगभग दो वर्षो से भी अधिक समय से विभाग द्वारा कई नहरो के प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे। कई नहरों हेतु संबन्धित विभागों/ जिलाधिकारी/ प्रमुख अभियंता से धन की मांग भी अत्यन्त विलम्ब से की गयी थी।

अत: प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
योग	00	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग, स्तर-2 उत्तराखंड, श्रीनगर गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

(ii) -

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) -

(ii) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	ई जयपाल सिंह	मुख्य अभियंता स्तर-2 श्रीनगर (गढ़वाल)

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

शून्य

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग, स्तर-2 उत्तराखंड, श्रीनगर गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II